न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 12/2016

उनवान मुकदमा

1. श्रीमती भुरी पुत्री स्व. श्री रकमा (पत्नी श्री रोतीया) उम्र 40 वर्ष जाति गईडा भील निवासी मसोटिया पुनर्वास बस्ती तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) —वादीया

बनाम

1. कमरू पिता स्व. श्री रकमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी सागेता तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्रीमती लीला पत्नी स्व. श्री रकमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी सागेता तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
3. तहसीलदार तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.) —प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 04.03.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता प्रतिवादी संख्या 2 के पति की संयुक्त कब्जे काश्त खाता संख्या 127 नया 117 पुराना के खसरा नम्बर 557/337/2 रकबा 9—00 लगान 10.35 रूपया वाके ग्राम सागेता पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। जिस पर वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से काबीज होकर काश्त कर रहे है एवं वर्तमान में भी वादीया की कब्जा काश्त मौजुद है वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वंशावली निम्नानुसार है :—

रकमा (फौत)

कमरू | राज | भुरी | सपुडी | श्रीमती लीला

पूर्व में उक्त खाता वादीया, प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 के पति रकमा के नाम से खाता संख्या 109 नया व 104 पुराना के खसरा नम्बर 557/337/2 रकबा 9—00 बीघा वाके ग्राम सागेता पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) के नाम दर्ज रेकार्ड था एवं रकमा की मृत्यु पर उक्त खाता बजरिये नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 21.08.1996 में वंशावली में वादीया को नहीं बताकर खाता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम कर दिया गया है जो अवैध होकर काबील निरस्ती के है। जबकि उक्त खाते की वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की बहन व प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री व मूल खातेदार रकमा की पुत्री होकर उक्त खाते में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ समान हक, हित व हिस्सा निहित था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम जो खाता इन्द्राज किया गया है जो विधि विरूद्ध होकर काबील निररस्ती के है।

वादीया स्व. रकमा व प्रतिवादी संख्या 1 की बहन व प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री होने से व स्व. रकमा की वारिस होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसार अपने पिता की भूमि में वादीया का हित जन्म से निहित हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ वादीया वाद खाता संख्या 127 नया 117 पुराना के खसरा नम्बर 557/337/2 रकबा 9—00 बीघा वाके ग्राम सागेता पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) की सहखातेदार घोषित होने की पात्र है एवं वादीया का सबल खाते में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ 1/3 भाग निहित है ऐसी स्थिति में वह 1/3 भाग का विभाजन कराने की पात्र है क्योंकि मौके पर आज भी वादीया का कब्जा काश्त है प्रतिवादी संख्या 1 की बहन व प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री होकर वादीया खाते में खातेदारी की पात्रता रखती है। जिस हेतु वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद का व्यवहार कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीया को उसका नाम दर्ज करने से माह फरवरी 2016 के अंतिम सप्ताह में कहने से व मौके पर विवाद करने से उक्त वाद का व्यवहार कारण उत्पन्न हुआ है।

अतः वादीया को खाता संख्या 127 नया 117 पुराना के खसरा नम्बर 557/337/2 रकबा 9-00 बीघा वाके ग्राम सागेता पटवार मण्डल कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) को वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3-1/3 भाग व वादीया का 1/3 भाग का विभाजन कर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज करने के प्रतिवादी संख्या 3 को आदेश प्रदान कर डिकी जारी फरमावे।

वादीया ने वाद पत्र के साथ फर्द दस्तावेज में नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 15.01.1986, जमाबन्दी संवत 2043-46, नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 21-08-1996, जमाबन्दी संवत 2051-54, जमाबन्दी संवत 2070-73, परिचय पत्र वादीया की छायाप्रति संलग्न किये है।

शपथ पत्र अन्तर्गत ओदश 18 नियम 04 सी.पी.सी. में श्रीमती भूरी पुत्री स्व. श्री रकमा (पत्नी श्री सेतीया) जाति भील उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम पिपलारा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा राजस्थान का दिनांक 18.02.2021 को पेश किया। जिसमें वाद में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया है। वादी अधिवक्ता द्वारा वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर निम्नानुसार प्रदर्श डाले गये। वादीया ने बाद शपथ बताया कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सही व सत्य है। जिस पर मेरी अगुठा निशानी है। मैने अपने वाद पत्र के साथ नामान्तकरण संख्या 88 प्रदर्श-1, जमाबन्दी संवत 2043 से 2046 प्रदर्श-2, नामान्तकरण संख्या 167 प्रदर्श-3, जमाबन्दी संवत 2051-2054 प्रदर्श-4, जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 प्रदर्श-5 एवं परिचय पत्र प्रमाणित सरपंच प्रदर्श-6 प्रस्तुत किये है। जिरह नो स्ट्रक्शन होने से शून्य है। पुन' परीक्षण शून्य है।

दिनांक 04.03.2022 को एक पक्षीय के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीया अधिवक्ता ने अपने कथन में वाद पत्र में, गवाहो के शपथ पत्रों को दोहराया। वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को संयुक्त परिवार का होना बताया जाकर वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित करने हेतु निवेदन किया।

एक पक्षीय के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन एवं पत्रावली में वाद पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया तो पाया कि वादग्रस्त भूमि के जमाबन्दी संवत 2051-54 मूल खातेदार रकमा पिता पुनीया भील साकिन सियारी में विरासत से कमरू पिता रकमा व लीला बेवा रकमा भील सा0 सियारी का नाम दर्ज किया गया। जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 में कमरू पिता रकमा, लीला वेवा रकमा भील सा. सियारी गैर खातेदार कृषक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अतः भूमि पैतृक है। वादीया श्रीमती भूरी स्व. रकमा की पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार अपने पिता की भूमि में जन्म से हित निहित हो जाता है, जो कानूनी एवं विधिवत है। विवादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार एवं वादीया के वादपत्र सारयुक्त होने से स्वीकार किया जाता है। अतः खाता संख्या 127 नया 117 पुराना के खसरा नम्बर 557/337/2 रकबा 9-00 बीघा वाके ग्राम सागेता पटवार मण्डल कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सह[illegible] घोषित किया जाता है तदअनुसार तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा राज[illegible] रेकार्ड में [illegible]

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.03.2022 को सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... (राजस्थान)

Scanned with CamScanner